

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में मनोरोग उपचर्या अध्यापक के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमों पर
सार्वजनिक सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं.एबी.14017/61/2008-स्था.
(आरआर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में मनोरोग उपचर्या अध्यापक के पद के लिए
प्रारूप भर्ती नियम संलग्न हैं।

प्रारूप भर्ती नियमों पर आपत्ति/टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी
आपत्ति/टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर
लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 521-ए,
निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को या ई-मेल पते: ajaya59@gmail.com पर
भेज सकते हैं।



(अजय कुमार केपी)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: 011-23061342

नई दिल्ली

दिनांक: 18/5/2018

अनुलग्नक

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान भर्ती नियमों में प्रावधान	प्रस्तावित भर्ती नियमों में संशोधित प्रावधान	औचित्य
1.	पद का नाम	सीनियर सिस्टर ट्यूटर	मनोरोग उपचर्या अध्यापक	सीआईपी, रांची द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पद की नामावली में परिवर्तन किया गया है।
2.	पदों की सं.	1	1 (कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	कोई परिवर्तन नहीं
3.	वर्गीकरण	सामान्य, केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ग' सेवा अराजपत्रित, अननुसचिवीय	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार लेवल 6 से ऊपर के पद के समूह 'ख' पद में वर्गीकृत किया गया है।
4.	वेतनमान (वेतन मैट्रिक्स में)	रु. 550-25-750-ई.बी-30900 (III केन्द्रीय वेतन आयोग) रु. 2000-60-2300-ई.बी-75-3200 (IV केन्द्रीय वेतन आयोग) एस 12 (6500-200-10500) (5वां केन्द्रीय वेतन आयोग) पी.बी.2, ग्रेड वेतन-5400, (छठा केन्द्रीय वेतन आयोग) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-9 (VIIवां केन्द्रीय वेतन आयोग)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-9 (रु. 53100-167800/-)	7वें केन्द्रीय वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतनमान प्रतिस्थापित किया गया है। सीआईपी, रांची द्वारा दिनांक 13.11.2017 के अपने पत्र संख्या ए-12017/41/2017-स्था. 4494 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त पद में परिवर्तन को प्रत्येक केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार दर्शाया गया है।
5.	क्या चयन पद अथवा अचयन पद	गैर-चयन पद	गैर-चयन पद	दिनांक 31.3.2015 के का.जा. संख्या एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
6.	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा	27-35 वर्ष	लागू नहीं	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.3.2015 के का.जा. संख्या एबी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
7.	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा	1. पंजीकृत नर्स और मिडवाइफ 2. मनोरोग विज्ञान उपचर्या में	लागू नहीं	दिनांक 31.3.2015 के का.जा. संख्या एबी

	अन्य अर्हता	डिप्लोमा 3. एक वर्षीय सिस्टर ट्यूटर डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया हो। 4. न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन अनुभव के साथ नर्सिंग सिस्टर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय: 1. सामान्य नर्सिंग जैसे वीएससी (नर्सिंग) में उच्चतर अर्हता 2. ग्रुप थेरेपी, वर्क थेरेपी, पुनर्वास इत्यादि जैसी विशेष चिकित्सा तकनीकों की जानकारी 3. बंगला भाषा का ज्ञान		14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	आयु- नहीं अर्हता -हां	लागू नहीं	दिनांक 31.3.2015 के का.जा. संख्या एवी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	लागू नहीं	दिनांक 31.3.2015 के का.जा. संख्या एवी 14017/13/2013-स्था. (आरआर) के अनुसार
10.	भर्ती की पद्धति: क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100% पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति द्वारा	सीआईपी, रांची द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। एक शीर्ष पद होने के कारण इस पद की भर्ती करना अनुशंसनीय नहीं है। सीआईपी, रांची में सहायक नर्सिंग अधीक्षक के 13 पद हैं जो कि पदोन्नति आधार पर भरे जाने वाले पदों का 3 गुना है।
11.	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	ग्रेड में 5 वर्ष की सतत सेवा के साथ सहायक मैट्रोन	पदोन्नति ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स (रु. 53100-167800/-) में लेबल - 9 में सहायक नर्सिंग	सीआईपी में वेतन मैट्रिक्स में भी सहायक नर्सिंग अधीक्षक का पद है, परंतु जैसा कि सीआईपी, रांची द्वारा स्पष्ट किया गया है, के

			अधीक्षक।	लिए अतिरिक्त शिक्षण भत्ते के साथ अतिरिक्त अर्हता एवं अनुभव आवश्यक है ताकि पद को सहायक नर्सिंग अधीक्षक द्वारा भरा जा सके।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	समूह 'ग' विभागीय स्पष्टीकरण समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. एसोसिएट मनोविज्ञान प्रोफेसर - अध्यक्ष 2. पैथोलॉजिस्ट 3. प्रशासनिक अधिकारी	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति :- 1. निदेशक (सीआईपी) - अध्यक्ष 2. चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. सहायक प्रोफेसर - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य	पदोन्नति पर विचार करने हेतु डीपीसी आवश्यक है।
13.	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं	लागू नहीं।	कोई परिवर्तन नहीं।